न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 51/2021

1. आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर जरिये श्री भरत सिंह, प्राधिकृत अधिकारी ।

......प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रहलाद मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना निवासी 59, मुख्य ग्राम कल्याणपुरा, लालसोट, दौसा या कल्याणपुरा, लालसोट, दौसा या पटटा संख्या 11 कालावास, लालसोट, दौसा राजस्थान (ऋणी)
2. श्रीमती रूमाली देवी पत्नि श्री प्रहलाद मीना निवासी 59, मुख्य ग्राम कल्याणपुरा, लालसोट, दौसा या कल्याणपुरा, लालसोट, दौसा या पटटा संख्या 11 कालावास, लालसोट, दौसा राजस्थान

..... (सहऋणी)

3. श्री विश्राम मीना निवासी कल्याणपुरा कालावास, दौसा या विश्राम किराना स्टोर कल्याणपुरा कालावास, दौसा राज03 (राजस्थान) (जमानतदार)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 12.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री प्रहलाद मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना निवासी 59, मुख्य ग्राम कल्याणपुरा , लालसोट, दौसा (राजस्थान) कल्याणपुरा, लालसोट, दौसा या पटटा संख्या 11 कालावास, लालसोट, दौसा राजस्थान को 518140/(रूपये पांचः लाख अठारह हजार एक सौ चालीस मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे अंकितानुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा नंबर 11 दिनांक 24.04.2017 क्षेत्रफल 151.11 वर्गगज ग्राम कल्याणपुरा कालावास, लालसोट, दौसा जो कि ऋणी श्री प्रहलाद मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा